Annual Programme for 2024-25 for use of Hindi

<u>S.NO</u>	DETAILS OF WORK	'A' REGION		<u>'B' REG</u>	<u>ION</u>	<u>'C' REGION</u>
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)			1. From B to A 2. From B to B 3. From B to C 4.From Region B to Offices Individu in States / UTs of A & B region		1. From C to A 55% 2. From C to B 55% 3. From C to C 55% 4. From Region C to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region
	ers received in Hindi t red in Hindi	o be	10	00%	100%	100%
3.Noti	ng in Hindi		75	5%	50%	30%
4. Tra	ining Programme thro	ough Hindi Medium	70	0%	60%	30%
	ruitment of employee Typing & Stenographe		;	80%	70%	40% .
	ation in Hindi/ Direct pard (self and by the A	•		65%	55%	30%
7. Hi	ndi Training (Languago	e, Typing/ Stenogra	phy)	100%	1009	% 100 %
8. Pr	eparation of Bilingual	Training Material		100%	100	% 100%
Hindi i.e., Hi amour and Re	penditure for the purce books etc., including of ndi e-books, CD/DVD, nt incurred on Translate egional Languages out ling journals and stan	digital material Pen Drive including tion in Hindi from E of the total Library	nglish grant		50	% 50%
includ	urchase of all electron ing computers having n working facility.		and	100%	10	0% 100%

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	" <u>क" क्षेत्र</u>	<u>"ख" क्षेत्र</u>	" <u>ग" क्षेत्र</u>
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	 क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 	 1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11. Website bilingual	100%	100%	100%	
12. Citizen Charter and display of Public interface information Board bilingual	100%	100%	100%	
13. (i) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections	25% (minimum)	25% (mi ni	imum)	25% (minimum)
(% of Offices)				
(II) Inspections of sections at Headquarters.	25% (minimum)	25% (min	imum)	25% (minimum)
(III) Joint inspections by the officers Concerned & those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government. At least one inspection in a year.				
14. Meetings regarding Official Language				
(A) Hindi Salahakar Samiti	02 meetin	gs in a year		
(B) Town Official Language Implementation Committee.	02 meetin	gs in a year (O	ne meeting i	n every six months)
(C) Official Language Implementation Committee.	04 meetin _i	gs in a year (O	ne meeting i	n every quarter)
15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Pr	ocedural literature.	100%	100%	100%
16 Sections of the Ministries/ Departments/ Undertakings where entire work to be done in		40%	30%	20%

(Minimum Sections)

40% in 'A' Region, 25% in 'B' Region and 15% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/Corporations where there is no concept of sections.

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13	. (i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर सिकार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)		25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक नि	रीक्षण
14	. राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	ī	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2बैठकें (प्रति छमाही एव वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही ए	
15	. कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16	. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंको उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संग कार्य हिंदी में हों।		30%	20%
			(न्यूनतम अनुभाग)	
	सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि. जहां अनभाग			

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।